विधायी प्रक्रिया

BA II (Hons)

प्रत्येक देश में विधानपालिका का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना, इनमें संशोधन करना तथा कुछ पुराने विधियों को repeal करने का होता है। भारत में भी विधानपालिका (संसद) का मुख्य कार्य विधेयक को कानून बनाने का है। कानून बनाने के लिए संसद के समक्ष जो प्रारूप (Draft) या Proposal प्रस्तुत किया जाता है, उसे विधेयक (Bill) कहते हैं। मुख्य रूप से विधेयक 2 प्रकार के होते हैं —

(1) साधारण विधेयक (Ordinary Bill)
(2) धन विधेयक (Money Bill) या वित्त विधेयक (Finance Bill)

दोनों प्रकार के विधेयकों को पारित करने के लिए पृथक् पृथक् प्रक्रियाएं हैं।

साधारण विधेयक (Ordinary Bill) की प्रक्रिया

धन विधेयक या वितीय विधेयक को छोड़कर अन्य दूसरे विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। साधारण विधेयक, सरकारी होने पर मंत्रियों द्वारा और गैर-सरकारी होने पर निजी सदस्यों (Private members) द्वारा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुन: स्थापित किये जा सकते हैं।

<u>पुनःस्थापन</u> (Introduction) - साधारण विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा पुन: स्थापित किया जा सकता है।

यदि सरकारी Gazette में कोई सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित हो जाये, तो उस सरकारी विधेयक को पेश किया जाना मान लिया जाता है। उसके लिए मंत्रियों को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती

जब कोई स्वतंत्र सदस्य संसद के किसी सदन में कोई साधारण विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह एक महीने पूर्व अपनी विधेयक संबंधी इच्छा की लिखित सूचना (Notice) दे। उक्त सूचना में विधेयक का प्रारुप, उक्त विधेयक के उद्देश्य और स्थापन के कारण भी संलग्न रहने चाहिए। उसमें आवर्ती (Recurring) और अनावर्ती (non-recurring) व्ययों का लेखा भी होना चाहिए। ऐसे विधेयक जिनका प्रभाव राज्य और राज्यों की सीमाओं पर पड़ता हो अथवा सरकारी भाषा को बदलने पर पड़ता हो, तो वे सभी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से ही पुन: स्थापित हो सकते हैं।

<u>प्रथम वाचन</u> (<u>First Reading</u>)

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

विधेयक की पुन: स्थापना के निश्चित दिन विधेयक का प्रस्तावक सदस्य (Mover) सदन की अनुमति से विधेयक का शीर्षक पढ़ता है और उसके सामान्य सिद्धांतों (general Principles), उद्देश्यों और मुख्य बातों पर संक्षिप्त भाषण देता है। इसे विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन के अवसर पर विधेयक के प्रत्येक खण्ड या धारा पर बहस नहीं होती है, बल्कि सामान्य सिद्धांतों पर ही वाद - विवाद होता है।

कभी - कभी किसी विधेयक का पुन: स्थापन और प्रथम वाचन एक ही दिन होता है।

द्वितीय वाचन — (Second Reading) —

प्रथम वाचन के उपरांत अध्यक्ष विधेयक को भारतीय गजट में छपने के लिए भेज देते हैं। किसी सदस्य की प्रार्थना पर भी सदन का अध्यक्ष विधेयक को गजट में छपने के लिए भेज सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक के पुन: स्थापित करने के लिए सदन की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन विधेयक पर विचार होना निश्चित होता है, विधेयक का प्रस्तावक सदस्य निम्नांकित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है —

i) सदन विधेयक पर या तो शीघ्र विचार करे अथवा प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी अन्य दिन उक्त विधेयक पर विचार किया जाए, अथवा

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(ii) विधेयक प्रवर समिति (Select Committee) में भेज दिया जाए।

(iii) विधेयक को जनमत-संग्रह के लिए प्रसारित किया जाए।

यदि कोई विधेयक विरोध शून्य हो और शासन/सरकार द्वारा पुनः स्थापित किया जाए तो शायद उसपर तुरंत विचार करने की अनुमति मिल सकती है। सामाजिक महत्व के ऐसे विधेयकों को, जिनका राष्ट्र के जीवन पर प्रभाव पड़ता हो अथवा कोई ऐसी नई बात हो जिसके कारण विवाद और विरोध भाव उत्पन्न हों, अवश्य ही जनमत के लिए प्रसारित किया जाता है। सभी विधेयक अवश्य ही प्रायः प्रवर समीति में विचारार्थ भेज दिए जाते हैं।

जब तीनों प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है, तो या तो उसी दिन या फिर किसी और दिन उसके मुख्य सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। विधेयक का प्रस्तावक विस्तारपूर्वक समझाता है और व्याख्या करता है कि प्रस्तावित विधेयक की क्यों आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। विरोधी सदस्य उक्त विधेयक की आलोचना कर सकते हैं। इस समय भी विस्तारपूर्वक विधेयक पर विचार नहीं होता है और ना ही संशोधन उपस्थित किए जाते हैं सकते हैं और ना ही

धाराओं पर मतदान ~~होता है~~। ही हो सकता है। उस समय समूचे विधेयक पर विचार किया जाता है और संशोधन केवल उक्त प्रस्ताव पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

समिति स्तर – यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो एक समिति तदर्थ नियुक्त की जाती है। उक्त समिति में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त विधेयक का प्रस्तावक भी रहता है और दूसरा विधि सदस्य होता है जो प्रवर समिति का सदस्य होता है। ~~सदर~~ सदन के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को, सदन के अध्यक्ष प्रवर समिति के सभापति नियुक्त कर देते हैं। यदि किसी समिति में सदन के उपाध्यक्ष भी सदस्य हों तो वही सभापति होते हैं। समिति विधेयक की सूक्ष्म परीक्षा करती है। वह किसी व्यक्ति को भी बुला सकती है और उसकी गवाही कराके उससे संबंधित कागज़ या सबूत माँग सकती है। समिति विधेयक के विषय से संबंधित विशेषज्ञों या ऐसे लोगों की राय भी ले सकती है, जिनके हितों पर उक्त विधेयक का प्रभाव पड़ता हो। प्रवर समिति विधेयक में संशोधन भी उपस्थित कर सकती है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

6

प्रतिवेदन स्तर — यदि विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाता है या जनमत संग्रह (Report) के लिए प्रसारित किया जाता है तो, प्रतिवेदन के मिल जाने पर पूरा सदन उस विधेयक पर बहस करता है। साधारणतः विवादास्पद विधेयकों पर जनमत संग्रह किया जाता है और महत्वपूर्ण विषयों को प्रवर समिति में भेजा जाता है। प्रतिवेदन के मिल जाने पर विधेयक के खण्ड-खण्ड (Clause by Clause) पर विचार किया जाता है। प्रतिवेदन स्तर पर प्रत्येक संशोधन के सुझाव पर बहस होती है और विधेयक संशोधन और मूल धारा पर अलग-अलग सदन की राय ली जाती है और विधेयक खण्डशः पास किया जाता है।

तृतीय वाचन — अगर द्वितीय वचन में विधेयक स्वीकार हो जाता है, तो तृतीय वाचन के लिए सदन के समक्ष रखा जाता है। तृतीय वाचन विधेयक की अंतिम अवस्था (Last Stage) है। इस अवस्था में विधेयक के केवल सामान्य सिद्धांतों के पक्ष और विपक्ष में भाषण दिए जाते हैं। नये संशोधन या भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने वाले संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। तृतीय वाचन के अवसर पर संपूर्ण विधेयक (Bill as a whole) पर मतदान लिया जाता है और यदि विधेयक बहुमत से स्वीकृत

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

हो जाए तो सदन द्वारा स्वीकृत माना जाता है।

दूसरे सदन में - तृतीय वाचन में स्वीकृत हो जाने के बाद पर सदन के अध्यक्ष या सचिव द्वारा विधेयक का प्रमाणीकरण (Authentication) किया जाता है और प्रमाणीकरण के पश्चात विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक को निम्नलिखित 5 स्तरों से पास करना पड़ता है -

1) प्रथम वाचन ✓
2) द्वितीय वाचन ✓
3) समिति स्तर ✓
Report 4) प्रतिवेदन - स्तर ✓
5) तृतीय वाचन

राष्ट्रपति की स्वीकृति - यदि दूसरा सदन भी विधेयक को उसी रूप में पास कर देता है जिस रूप में प्रथम सदन ने भेजा है जिसमें विधेयक (introduce) पुनः स्थापित किया गया था, तो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि वह चाहें तो विधेयक को दोनों सदनों के पुनर्विचारार्थ वापस भेज सकते हैं। ऐसा करते समय राष्ट्रपति उक्त विधेयक में संशोधन का सुझाव message रखते हुए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। किन्तु यदि दोबारा संसद के दोनों सदनों उक्त

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अवश्य ही स्वीकृति प्रदान करनी होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर विधेयक विधि का रूप धारण करता है।

गतिरोध की परिस्थिति में - Joint Session (Art 108)

तीन परिस्थितियाँ गतिरोध उत्पन्न करती हैं

(1) यदि विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकृत कर देता है, या

(2) दूसरा सदन ऐसे संशोधनों सहित उसे पारित करता है जिन्हें प्रथम सदन स्वीकार नहीं करता, या

(3) दूसरा सदन विधेयक को छः महीने तक नहीं लौटाता है

तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद की सम्मिलित बैठक बुला सकते हैं (Art 108) जहाँ दोनों सदन मिलकर विधेयक पर विचार और मतदान करते हैं।

- यदि संयुक्त बैठक संबंधी संदेश निकल चुका है और लोकसभा भंग/विघटित हो जाती है तो भी विधेयक समाप्त नहीं होता है।

Quorum to call a joint session is 1/10th of total ~~strength~~ no. of members of ~~both the~~ the Houses of the Parliament.

- Speaker / Deputy Speaker of Lok Sabha heads the Joint Session

Scanned with CamScanner

The procedure is in accordance with the procedure that is followed in the LS.

दोनों सदन इसमें संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं किन्तु केवल ऐसे संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं जो विधेयक के पारित होने में देर लग जाने के कारण आवश्यक हो गए हैं या जो उन संशोधनों से संबंध रखते हैं जिन्हें किसी एक सदन ने प्रस्तावित किया था, किन्तु दूसरे ने अस्वीकार कर दिया था।

संशोधन की आज्ञा दी जाए या नहीं इसका अंतिम निर्णय सभापति का होता है।

यदि संयुक्त बैठक के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उक्त विवादस्पद विधेयक पारित हो जाता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

धन-विधेयक
(Money Bill)

What is a Money Bill? धन विधेयक क्या है?

धन विधेयक के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है वह साधारण विधेयक की प्रक्रिया से भिन्न है।

धन विधेयक पर लोकसभा का पूर्णतः -

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

नियंत्रण रहता है। यह सर्वप्रथम लोकसभा में ही स्थापित (introduce) हो सकता है, राज्यसभा में नहीं।

According to Article 110 of the Indian Constitution, a money bill falls into the category of a Money Bill if it has any of the following elements —

a) कर लगाने, घटाने, बढ़ाने, नियमित या संशोधित करने इत्यादि से संबंधित हो (regulation, imposition, reduction, or increase in taxes)

b) ऋण लेने, भारत सरकार द्वारा गारंटी देने के नियम या भारत सरकार पर आर्थिक भार लादने की व्यवस्था से;

c) भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि (contingency fund) को सुरक्षित रूप से रखने, उसमें रुपया जमा करने या उसमें से धन निकालने की व्यवस्था से;

d) भारत की संचित निधि पर किसी व्यय का भार डालने या उसमें से किसी व्यय के लिए धन देने की स्वीकृति से;

e) सरकारी हिसाब में धन जमा करने या उसमें से खर्च, उसकी जाँच आदि से; औ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उदाहरण - इनमें से किसी एक विषय से संबंधित।
इस प्रकार धन विधेयक वह विधेयक है जिसका संबंध संघ की आय-व्यय निधियों के हिसाब-किताब और उनकी जाँच आदि मात्र से है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और उनका निर्णय ही अंतिम होता है।

धन विधेयक की प्रक्रिया — धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति से केवल लोकसभा में ही उपस्थित किया जा सकता है। धन विधेयक किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश से वित्त मंत्री (Finance Minister) लोकसभा में धन विधेयक पेश करते हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने पर वह राज्य सभा में विचारार्थ भेजा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष हस्ताक्षर कर उसे धन विधेयक घोषित करते हैं। यदि राज्यसभा विधेयक पाने के 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा में उस विधेयक को वापस कर दे तो लोकसभा उसकी सिफारिशों पर विचार करती है। लोकसभा को पूर्ण अधिकार है कि वह ~~उस~~ उन सिफारिशों या उनमें से कुछ को स्वीकार करे या ~~न~~ करे।

यदि लोकसभा किसी सिफारिश को मान ले, तो सिफारिश के साथ और यदि नहीं माने तो जिस रूप में वह लोकसभा से पारित हुआ था, उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को नहीं लौटाती है, तो उक्त अवधि की समाप्ति के बाद वह दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाएगा, जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। इसके बाद धन-विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यहाँ भी धन-विधेयक की घोषणा करते समय लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। राष्ट्रपति ना तो उसे वापस कर सकते हैं और ना उसपर अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर सकते हैं।

गैर-सरकारी विधेयक (Private Member's Bill)

गैर-सरकारी विधेयक वह विधेयक है, जो सरकार की ओर से पुन: स्थापित (introduce) नहीं होता है बल्कि मंत्रियों को छोड़कर अन्य सदस्य इसकी पुन: स्थापना करते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को ढाई घंटे गैर-सरकारी विधेयक पर वाद-विवाद होता है। भारतीय लोकसभा ने गैर-सरकारी विधेयक की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की है। गैर-सरकारी विधेयक पुन: स्थापन के बाद और संविधान में संशोधन वाले विधेयक पुन: स्थापन के पूर्व

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

ही इस समिति के समक्ष विचारार्थ भेजे जाते हैं। समिति इन विधेयकों के विचार के लिए समय तथा मतदान की अवस्था की सिफारिश करती है। अधिकांशत: गैर-सरकारी विधेयक पुन: स्थापित ही नहीं हो पाते, पारित होना तो उससे भी कठिन है।

संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees)

संसदीय शासन पद्धति के अतंर्गत संसद के कार्य संचालन के लिए संसदीय समितियाँ आवश्यक हैं। यह समितियाँ संसदीय कार्य का निर्वहन सरल, कुशल और उचित बनाती हैं। वर्तमान में विधायिका पर बहुत कार्य-भार है। अत: संसद के कार्य-संचालन में सहायता के लिए समितियों की व्यवस्था भारत में भी की गई है। सामान्यतया संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं -

(i) स्थायी - इसका गठन एक निश्चित समय के लिए होता है और इनका कार्य अनवरत रूप से चलता रहता है।

(ii) तदर्थ - इनका गठन एक निश्चित कार्य के लिए तदर्थ आधार पर होता है तथा कार्य समाप्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने पर उसका अन्त हो जाता है।

मुख्य संसदीय समितियाँ निम्न हैं -

कार्य-मन्त्रणा समिति - लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विषयों पर विचार करने के लिए यह समिति सदन के

प्रारम्भ में ही स्थापित की जाती है जिसमें 15 सदस्य होते हैं तथा सदन के अध्यक्ष इसके सभापति होते हैं। इस समिति का कार्यकाल निश्चित नहीं है, व्यवहार में प्रतिवर्ष मई में नई समिति गठित की जाती है।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति – इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर (speaker) मनोनीत (nominate) करते हैं। इनकी अवधि 1 वर्ष की होती है। इस समिति का मुख्य कार्य सरकारी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तावित विधेयकों की जाँच करना, उन्हें श्रेणीबद्ध करना, उनपर विचार हेतु सिफारिश करना तथा उनके लिए समय सीमा निर्धारित करना है।

(3) प्रवर समिति – तदर्थ समितियों में यह सबसे प्रमुख समिति होती है। इसका निर्माण किसी विधेयक पर विचार करने के लिए होता है। इसकी नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर तथा विभिन्न विधेयकों पर विचार करने के लिए अलग-अलग की जाती है।

स्थायी समितियाँ –

(1) प्राक्कलन समिति – इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली द्वारा होती है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से संसद प्राक्कलन समिति की नियुक्ति करती है जिसके प्रमुख कार्य हैं -

a) यह रिपोर्ट करना कि धन की बचत, संगठन में उन्नति, प्रशासन में सुधार या परिवर्तन किस प्रकार संभव है।

b) प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना।

c) इस तथ्य की जाँच करना कि प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमा के अन्तर्गत धन का वितरण भली-भाँति किया गया है या नहीं।

d) प्राक्कलन किस रुप में संसद में प्रस्तुत किए जायें, इस विषय पर सुझाव देना।

यह समिति अपने कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिए अनेक उपसमितियों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक उपसमिति के अधीन निश्चित सरकारी विभाग होते हैं। यह समिति इतनी महत्वपूर्ण है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने में इसका योगदान रहता है।

(2) <u>याचिका समिति</u> - इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर मनोनीत करते हैं। सदन के पास जनता द्वारा जो याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं उसपर विचार करने के लिए

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

याचिका समिति का गठन किया जाता है। इस समिति द्वारा सौंपी गई याचिका पर विचार करके और उसकी छानबीन करके उसपर अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करती है।

(3) लोक-लेखा समिति - जिस प्रकार प्राक्कलन समिति प्राक्कलन का परीक्षण करती है, उसी प्रकार लोक-लेखा समिति सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करती है। इसमें संसद के 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व ~~चुन~~ प्रणाली के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। यह समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन-देन संबंधी खातों की जाँच करती है। भारत सरकार के विनियोग लेखों और उनमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति यह समाधान करती है कि -

(i) लेखों में व्यय के रूप में जिस राशी का वितरण दिखाया गया है वह वैधानिक रीति से उपलब्ध थी तथा जिस सेवा या प्रयोजन वह व्यय की गई है, उसके लिए ही निर्धारित थी या नहीं।

(ii) व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है।

(iii) प्रत्येक पुनर्विनियोग (reappropriation) इस विषय

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुकूल किया गया है।

(iv) इसका यह भी कर्तव्य है कि वह सरकारी निगमों, निर्माण संस्थाओं, स्वायत्तशासी एवं अर्द्ध-स्वायत्तशासी के लेखा-वितरणों और लाभ-हानि खातों सहित आय-व्यय की जाँच करे।

(v) उन मामलों में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके संबंध में राष्ट्रपति ने उससे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करने की या भंडार के और स्कन्ध के लेखों की परीक्षा करने की अपेक्षा की हो।

(4) <u>विशेषाधिकार समिति</u> - 15 सदस्यीय इस समिति का गठन सदन के प्रारंभ में स्पीकर द्वारा की जाती है। इस समिति का कार्य सदस्यों के विशेषाधिकारों में हुए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की जाँच करना है।

(5) <u>प्रदत्त विधायन संबंधी समिति</u> - संसद कानून विभिन्न विभागों तथा प्राधिकारियों को विनियम, नियम, उपनियम अथवा उपविधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इस समिति का उद्देश्य मंत्रियों के प्रदत्त व्यवस्थापन संबंधित अधिकारों का निरीक्षण करना तथा उसके संबंध में सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

Total members = 15
Term = 1 year

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(6) सरकारी आश्वासन समिति - मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सदन को दिये गए आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं, आदि की छानबीन करने और इन बातों पर प्रतिवेदन देने के लिए 15 सदस्यीय इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए स्पीकर द्वारा की जाती है।

(7) सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति - अगर कोई सदस्य सदन की बैठक में अनुपस्थित रहना चाहे तो इसके लिए उसे सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। इस हेतु प्रस्तुत उसके आवेदन पर ~~यह~~ समिति विचार करती है। जब कोई सदस्य सदन की बैठक से 60 या अधिक दिनों के लिए अनुपस्थित रहता है तब उसका मामला इस समिति को सौंप दिया जाता है।

Members - 15
Term - 1 year

(8) नियम समिति - यह समिति सदन के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी मामलों पर विचार करती है। इसे नियमों में आवश्यक संशोधन तथा वृद्धि करने के लिए अनुशंसा करने का अधिकार है। सभापति इस समिति के पदेन अध्यक्ष होता है।

Total member - 15 - ~~xx~~ nominated by the Speaker of the Lok Sabha.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner